प्रीतपाल सिंह, जे. से पहले

दरिया सिंह,-याचिकाकर्ता

बनाम

कलेक्टर भिवानी और अन्य-प्रतिवादी

1978 की सिविल रिट याचिका संख्या 4205

19 सितंबर 1985.

हरियाणा कृषि ऋण राहत अधिनियम (1978 का 18) - धारा 2 (जी), 8 और 13 - ऋण के निपटान के लिए धारा 8 के तहत ऋणदाता आवेदन कर रहा है - ऋण निपटान अधिकारी आवेदन की अनुमति दे रहा है और ऋण की राशि निर्धारित कर रहा है - ऋणी कलेक्टर के पास अपील दायर कर रहा है -उक्त अपील में यह कहते हुए अनुमति दी गई कि ऋण की राशि पहले सिविल कोर्ट द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए - अपीलीय आदेश - क्या रखरखाव योग्य है।

निर्णय, हरियाणा कृषि ऋण राहत अधिनियम 1976 की धारा 2 (जी) को पढ़ने से पता चलता है कि 'देनदार' का अर्थ एक कृषि मजदूर, एक सीमांत किसान, एक छोटा किसान या एक ग्रामीण कारीगर है जिस पर कर्ज बकाया है। अधिनियम की धारा 13 में यह प्रावधान नहीं है कि ऋण की राशि पहले सिविल कोर्ट द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए और उसके बाद ही ऋण निपटान अधिकारी देनदार और लेनदार के बीच विवाद को निपटाने के लिए सक्षम हो जाता है। यह केवल "ऋण" की बात करता है, जिसमें न केवल सिविल कोर्ट के डिक्री या आदेश के तहत देय दायित्व शामिल है, बल्कि किसी लेनदार के कारण देय दायित्व भी शामिल है। प्रावधान में केवल इतना कहा गया है कि यदि यह सिविल कोर्ट की डिक्री या आदेश के तहत दायित्व का मामला है तो ऐसी डिक्री या आदेश ऋण की राशि के बारे में निर्णायक सबूत होंगे। प्रावधान निश्चित रूप से यह नहीं बताता है कि अधिनियम की धारा 8 के तहत निपटान के लिए एक आवेदन पर ऋण निपटान अधिकारी द्वारा तभी विचार किया जा सकता है, जब ऋण का निर्धारण पहले सिविल कोर्ट द्वारा किया गया हो। ऐसे में अपीलीय प्राधिकार का आदेश पोषणीय नहीं है।

(पैरा 4)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका, प्रार्थना करते हुए कि:-

(ए) विवादित आदेश को रद्द करने के लिए एक उचित रिट, निर्देश या आदेश, अनुलग्नक 'पी-2' जारी किया जाए;

(बी) कोई अन्य रिट। आदेश या निर्देश जो माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, जारी किया जा सकता है;

(सी) रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता के वकील अश्वनी कुमार चोपड़ा।

मनीराम, वकील, प्रतिवादी संख्या 3 के लिए।

**निर्णय**

प्रितपाल सिंह, जे,-

(1) याचिकाकर्ता दरिया सिंह ने 1,400 रुपये के ऋण और उस पर ब्याज के निपटान के लिए गिल्लू राम, प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ हरियाणा कृषि ऋण राहत अधिनियम, 1976 (इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 8 के तहत आवेदन किया। . ऋण निपटान अधिकारी, चरखी दादरी ने माना कि गिल्लू राम की वार्षिक आय रुपये से अधिक थी। 2,500/-, उसके विरुद्ध और याचिकाकर्ता दरिया सिंह के पक्ष में मूल राशि के रूप में 1,400/- रुपये और रु. 434/- ब्याज के रूप में, कुल डिक्रेटल राशि रु. 1,834/-. ऋण निपटान अधिकारी के आदेश की एक प्रति अनुलग्नक पी. 1 है। गिल्लू राम ने अधिनियम की धारा 14(2) के तहत अपील दायर की, जिस पर कलेक्टर, भिवानी द्वारा सुनवाई की गई। कलेक्टर ने माना कि ऋण की राशि पहले दरिया सिंह को सिविल कोर्ट से निर्धारित करानी चाहिए थी और उसके बाद ही वह अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन कर सकते थे। इस निष्कर्ष पर ऋण निपटान अधिकारी के आदेश (अनुलग्नक पी. 1) को क्षेत्राधिकार के बिना माना गया और इसे रद्द कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्नक पी 2 है।

2. इस रिट याचिका में दरिया सिंह ने अपीलीय आदेश (अनुलग्नक पी- 2) की वैधता को चुनौती दी है और प्रार्थना की है कि इस आदेश को रद्द कर दिया जाए।

3. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने पर मैंने पाया कि विवादित आदेश (अनुलग्नक पी-2) स्पष्ट रूप से अवैध है और रद्द किए जाने योग्य है। ऋण निपटान आदेश पारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में था (अनुलग्नक पी-1) और अपीलीय न्यायालय ने इसे अधिकार क्षेत्र के बिना आदेश के रूप में रद्द करने में गलती की।

4. अधिनियम की धारा 8 में यह प्रावधान है कि देनदार या उसका कोई भी लेनदार देनदार और लेनदार के बीच समझौता कराने के लिए ऋण निपटान अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। धारा 2(जी) के अनुसार देनदारों का अर्थ खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, छोटा किसान या ग्रामीण कारीगर है, जिस पर कर्ज बकाया है। 'ऋण' शब्द को धारा 2(एफ) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है नकद या वस्तु के रूप में लेनदार को देय सभी देनदारियां, सुरक्षित या असुरक्षित, सिविल कोर्ट के डिक्री या आदेश के तहत देय या अन्यथा और शुरुआत की तारीख पर विद्यमान कार्यवाही करना। इस खंड में कुछ अपवादों का उल्लेख किया गया है लेकिन हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि गिल्लू राम 'देनदार' की परिभाषा के अंतर्गत आता है और याचिकाकर्ता दरिया सिंह पर जो विवादित राशि बकाया है, वह ऋण की परिभाषा के अंतर्गत आती है। ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता निस्संदेह अधिनियम की धारा 8 के तहत समझौते के लिए आवेदन दायर करने का हकदार था। ऋण निपटान अधिकारी थे। इसलिए, अधिनियम की धारा 14 के तहत मामले पर निर्णय लेने का अधिकार है। उसके पास ऋण की बकाया राशि निर्धारित करने और लेनदार को उस पर 6% की दर से ब्याज देने का अपेक्षित अधिकार क्षेत्र था। अपीलीय न्यायालय ने अधिनियम की धारा 13(1) की व्याख्या पर ऋण निपटान अधिकारी के आदेश को क्षेत्राधिकार के बिना माना है, जो इस प्रकार है: -

“13(1) धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत जारी किए गए नोटिस के अनुपालन में प्रत्येक लेनदार को अपने ऊपर बकाया ऋणों का एक विवरण प्रस्तुत करना होगा, ऐसे विवरण के साथ, ऐसे सभी ऋणों का पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा, और उसी समय सभी दस्तावेज़ (खाते की पुस्तकों में प्रविष्टियों सहित) प्रस्तुत करें जिन पर वह अपने दावों का समर्थन करने के लिए भरोसा करता है, साथ ही ऐसे प्रत्येक दस्तावेज़ की एक सच्ची प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करें:

बशर्ते कि किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश उस ऋण की राशि के बारे में निर्णायक साक्ष्य होगा जिससे डिक्री संबंधित है, लेकिन राशि कम की जा सकती है यदि यह मूल ऋण के दोगुने से अधिक है या साधारण ब्याज को शामिल करके बनाई गई है प्रति वर्ष छह प्रतिशत से अधिक की दर।"

अधिनियम के इस प्रावधान में यह परिकल्पना नहीं की गई है कि ऋण की राशि पहले एक सिविल न्यायालय द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए और उसके बाद ही ऋण निपटान अधिकारी देनदार और लेनदार के बीच विवाद को

निपटाने के लिए सक्षम हो जाता है। यह केवल "ऋण" की बात करता है, जिसमें न केवल एक सिविल कोर्ट के डिक्री या आदेश के तहत देय दायित्व शामिल है, बल्कि एक लेनदार के कारण देय दायित्व भी शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय न्यायालय को परंतुक द्वारा गुमराह किया गया है। लेकिन प्रावधान केवल इतना कहता है कि यदि यह सिविल न्यायालय के डिक्री या आदेश के तहत दायित्व का मामला है तो ऐसा डिक्री या आदेश ऋण की राशि के बारे में निर्णायक सबूत होगा। प्रावधान निश्चित रूप से यह निर्धारित नहीं करता है कि अधिनियम की धारा 8 के तहत निपटान के लिए एक आवेदन पर ऋण निपटान अधिकारी द्वारा केवल तभी विचार किया जा सकता है जब ऋण पहले सिविल न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया हो।

5. ऊपर बताए गए कारणों से, कलेक्टर, भिवानी के 23 अगस्त, 1978 के आक्षेपित आदेश, (अनुलग्नक पी. 2) को इसके द्वारा रद्द किया जाता है। चूंकि ऋण निपटान आयुक्त (अनुलग्नक पी. 1) के आदेश को केवल क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर रद्द कर दिया गया था और अपील की सुनवाई योग्यता के आधार पर नहीं की गई थी, इसलिए अपील पर निर्णय लेने के लिए मामले को कलेक्टर, भिवानी के पास वापस भेज दिया गया है। पार्टियों को नोटिस जारी करने के बाद गुण-दोष के आधार पर अनुबंध पी. 1। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

***अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।***

भावना गेरा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा